:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल RAS.

मूकदमा नम्बर ..1../..23

महेन्द्रलाल पुत्र नानजी बरण्डा जाति मीणा उम्र बालीग निवासी गन्दवा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज.।

––प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज.।

––विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी।

:: निर्णय ::   दिनांक 15/05/2024

1. **प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि** गॉव गन्दवा कें जमाबन्दी खाता सख्या 98 कें खसरा सख्या 3663, 3664, 3704, 3705, 4101, 5696, 5704, 5705, 5706, 5719, 5723, 5724, 5725, कुल खसरा किता 13 का कुल रकवा 1.4716 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी सहखातेदार का तकार है जो दर्ज रिकार्ड है कि उक्त जमाबन्दी खाता में प्रार्थी के पिता का नाम नानजी कें स्थान पर मानजी गलत दर्ज कर लिया है प्रार्थी महेन्द्रलाल कें पिता का नाम नानजी है जो सहीं एवं सत्य है।
2. यह कि प्रार्थी महेन्द्रलाल कें पिता का नाम नानजी पुत्र खातरा है जो सहीं एवं सत्य है, प्रार्थी महेन्द्रलाल के पिता की मृत्यु उपरान्त दर्ज किए गए नामान्तरण सख्या 558 को देखने मात्र से ही स्पश्ट हो जावेगा कि प्रार्थी के पिता का नाम नानजी पिता खातरा है, जो सहवन से राजस्व कर्मीयो द्वारा नानजी को मानजी गलत दर्ज कर लिया है। कि प्रार्थी महेन्द्रलाल पुत्र नानजी कें स्थान पर महेन्द्रलाल पुत्र मानजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण केसीसी लोन, एवं अन्य लोन, पी.एम.किसान सम्मान नीधी की कार्यवाही में सफलता नहीं मिल रही है। कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार कर निम्न आश्य का आदेश प्रदान किया जावे कि:–' बिन्दू सख्या 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का दर्ज नाम महेन्द्रलाल पुत्र मानजी कें स्थान पर महेन्द्रलाल पुत्र नानजी दर्ज करने का आदे ा फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी को तलब किया गया, विपक्षी द्वारा जवाब पेश किया है कि:– प्रार्थनापत्र में वर्णित प्रार्थी का दर्ज नाम महेन्द्रलाल पुत्र मानजी कें स्थान पर महेन्द्रलाल पुत्र नानजी दर्ज कराने अनापत्ति जाहीर की है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

अतः तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव गन्दवा कें जमाबन्दी खाता सख्या 98 कें खसरा सख्या 3663, 3664, 3704, 3705, 4101, 5696, 5704, 5705, 5706, 5719, 5723, 5724, 5725, कुल खसरा किता 13 का कुल रकबा 1.4716 हैक्टेयर भूमि में महेन्द्रलाल पुत्र मानजी कें स्थान पर महेन्द्रलाल पुत्र नानजी दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है तहसीलदार तहसील झौथरीपाल आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।,

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आज दिनांक 15/05/2024. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner